

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 50 /गोपनीय /2022
दो-3-1 /2022

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से पदस्थ करता है:—


सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	सुश्री अमृता मिश्रा	उमरिया	उमरिया	उमरिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उमरिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी :— (1) आदेश क्रमांक 27/गोपनीय/2022/दो-3-1/2022, दिनांक 08.01.2022, जहां तक इसका संबंध सुश्री अमृता मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), उमरिया का, उमरिया से नलखेड़ा जिला शाजापुर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायकलोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(कृष्णमूर्ति मिश्रा)
रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक 51 /गोपनीय /2022
दो-3-1 /2022


जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:—

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश—ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. **सुश्री अमृता मिश्रा**, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), उमरिया, को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर / जबलपुर/ शाजापुर/ सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. (I) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/इंदौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर के माननीय न्यायाधिपति महोदयगणों को आदेश की प्रति ई—मेल द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु अग्रेषित।
- (II) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई—मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०—१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई०एल)/ (न्यायिक—१)/ (न्यायिक—२)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।



(कृष्णमूर्ति मिश्रा)
रजिस्ट्रार (सतर्कता)